

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| तारीख हुकम<br>81<br>2021 | गोपाल लाल / सुभाष चन्द<br>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामील<br>में जारी हुए |
|--------------------------|---|---|

पेश करते हुये शहीनामा अनुसार निर्णय  
 किये जाने का निर्देशन किया जाता है।  
 उत्पन्नपक्षों को सुना गया / पञ्जाबली  
 वास्ते कोर्ट का डिक्री दिनांक 25/11/2021 को  
 पेश हो।

June

- (1) सुभाष चन्द शर्मा
- (2) राजेश नाथ शर्मा
- (3) कपूर चन्द शर्मा
- (4) 60 नाथ
- (5) विवेक शर्मा
- (6) प्रो. वल्लभ शर्मा
- (7) गोपाल चन्द शर्मा
- (8) गजानन्द शर्मा
- (9) राम सिवाय

25/11/21

झाल मय पञ्जाबली वास्ते कोर्ट का प्रस्तुत  
 हुये। अधिवक्ता उत्पन्नपक्ष की बहस पर  
 गौर किया। एवम् पञ्जाबली का इन्वोल्वेडन  
 किया। पञ्जाबली द्वारा शहीनामा प्रार्थना  
 पत्र प्रस्तुत कर निर्देशन किया कि  
 निर्णय व डिडी जैर झपील दिनांक  
 31/7/2019 को सुन्य घोषित कर  
 निरस्त किया जाकर झपील शहीनामा  
 अनुसार निस्तारित की जावे।

निर्णय  
 सुन्य घोषित  
 रेसोर्ड्स।

झाल: यूसी पञ्जाबली द्वारा  
 शहीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्णय  
 व डिडी जैर झपील को निरस्त कर  
 झपील। प्रकरण का निस्तारण शहीनामा  
 के आधार पर किये जाने की इस्तुका  
 की गयी है। झाल प्रकरण का गुणावगुण  
 पर कोई परिश्रम नहीं कर मात्र उत्पन्नपक्षों  
 की सहमति। शहीनामा के आधार पर  
 निर्णय व डिडी जैर झपील दिनांक  
 31/7/2019 निरस्त किया जाकर प्रकरण  
 अधिनस्थ न्यायालय को मूल प्रार्थना  
 पत्र शहीनामा घोषित कर इस निर्देश  
 के साथ उपरोक्त किया जाता है कि  
 पञ्जाबली की प्रार्थना पत्र शहीनामा  
 पर सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण  
 करे। तदनुसार झपील इस हद तक स्वीकार  
 की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय




## राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

|             |                                    |   |
|-------------|------------------------------------|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|---|

की पत्रावली मप्र मूल प्रार्थना पत्र  
 शशीनामा सचिनस्प न्यायालय को  
 प्रेषित की जावे। उक्त पत्रों को वरिष्ठ  
 क्रायिबलगाण मद्र निर्देशा दिचे जाते  
 है कि वे सधीतल्य न्यायालय के  
 समक्ष दिनांक 17/12/2021 को  
 उपलब्ध होकर प्रार्थना पत्र शशीनामा  
 के सन्दर्भ में अपने उक्त प्रकट करे।  
 तदनुसार पत्रावली केसल मुताब  
 होकर बाउ तकमिल डाखिल इक्तर हो  
 क्रादेश कृपे न्यायालय से सुनाया  
 गया।



  
 राजस्व अपील प्राधिकारी  
 जयपुर